पंचदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–9 सोमवार, दिनांक–7 मार्च, 2011 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक ।

(1) प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 02 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 14 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iii) 04 तारांकित प्रश्न क्रमांक 425, 429, 434 एवं 439 के उत्तर के लिए समय लिया गया ।

(iv) 02 तारांकित प्रश्न क्रमांक 432 एवं 437 क्रमशः सांस्थिक वित्त एवं निर्वाचन विभाग को स्थानान्तरित ।

(v) 02 तारांकित प्रश्न अपृष्ट ।

(vi) 06 तारांकित प्रश्न अनागत ।

(2) शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों ने राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया :-

(i) श्री प्रेमरंजन पटेल

(ii) श्री संजय सिंह टाइगर

(iii) श्री दुर्गा प्रसाद सिंह

(iv) श्री प्रदीप कुमार

(v) श्री सम्राट चौधरी

(3) अध्यक्षीय नियमन :-

यथा संलग्न ।

(4) ध्यानाकर्षण सूचना :-

(i) माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार एवं अन्य नौ सभासदों की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित दिनांक 01.03.2011 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा दिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद एवं अन्य दो सभासदों की स्वास्थ्य विभाग से संबंधित दिनांक 01.03.2011 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा दिया गया ।

(iii) माननीय सदस्य श्री राजेश्वर राज एवं अन्य तीन सभासदों की स्वास्थ्य विभाग से संबंधित दिनांक 04.03.2011 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा दिया गया ।

(iv) मा० सदस्य श्री जितेन्द्र कुमार राय एवं अन्य तीन सभासदों की स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री जितेन्द्र कुमार राय द्वारा पढ़ा गया तथा इसका उत्तर दिनांक 08.03.2011 तक के लिए स्थगित हुआ ।

(v) माननीय सदस्य श्री प्रेमरंजन पटेल एवं दो अन्य सभासदों की जल संसाधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री प्रेमरंजन पटेल द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया ।

(5) <u>सरकारी वक्तव्य</u> :-

(i) माननीय प्रभारी मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा बी०पी०एल० परिवारों को राशन-किरासन वितरण के संबंध में वक्तव्य दिया गया ।

(ii) माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा पंजाब के कपूरथला के इंजिनियरिंग कॉलेज में बिहारी छात्रों के साथ हुए दुर्व्यवहार के संबंध में वक्तव्य दिया गया ।

(भोजनावकाश के बाद)

समय 02.00 बजे अप० से 5.00 बजे अप० तक

(6) <u>वित्तीय कार्य</u> :-<u>वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर वाद-विवाद तथा मतदान:-</u>

<u>स्वास्थ्य विभाग</u> :-

विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का प्रस्ताव माननीय प्रभारी मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र द्वारा स्वास्थ्य विभाग की मांग पर राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति पर विचार-विमर्श हेतु कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

अनुदान की मांग एवं कटौती प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) डा० रणविजय कुमार

(माननीय अध्यासी सदस्य श्री राम लषण राम रमण ने आसन ग्रहण किया)

(ii) श्री कुमार शैलेन्द्र
(iii) श्री जय कुमार सिंह
(iv) श्री कन्हैया कुमार
(v) श्री अब्दुल गफूर
(vi) श्री पवन कुमार जायसवाल
(vii) श्री अवधेश कुमार राय
(viii) श्री जवाहर प्रसाद
(ix) श्री श्यामदेव पासवान

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

माननीय प्रभारी मंत्री योजना एवं विकास विभाग द्वारा विभाग से संबंधित भावी योजनाओं से सदन को अवगत कराया ।

माननीय प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य विभाग द्वारा वाद-विवाद का उत्तर दिया गया ।

सरकार के उत्तर के दरम्यान विरोध प्रकट करते हुए विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए ।

सदन द्वारा माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र का कटौती प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ तथा स्वास्थ्य विभाग का अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव स्वीकृति हुआ ।

(7) <u>निवेदन</u> :-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि आज के लिए स्वीकृत कुल 18 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएँगें ।

तदुपरांत सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 08 मार्च, 2011 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-07.03.2011

गिरीश झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

अध्यक्षीय नियमन

माननीय सदस्यगण,

दिनांक 28 फरवरी, 2011 को सदन में माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीमती उषा सिन्हा, डा० अच्युतानंद, श्री विनोद नारायण झा, श्री रामेश्वर पासवान एवं डॉ० इजहार अहमद ने सदन द्वारा पारित दो राजकीय विधेयकों पर अनुमति रोके जाने संबंधी विषय को उठाया था तथा आसन से इस पर नियमन की माँग की थी । इस संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग तथा माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने भी अपना विचार रखा था । इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति निम्न प्रकार है :-

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 एवं पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 के पुरःस्थापन के पूर्व, सचिव, विधि विभाग द्वारा इस आशय की सूचना सभा सचिवालय को प्राप्त हुई थी कि संविधान के अनुच्छेद 207(1) (3) के अंतर्गत इस विधेयक पर राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित नहीं है ।

दोनों विधेयक बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों से विधिवत पारित होने के उपरान्त नियमानुसार अध्यक्ष के सामान्य विधेयक के रूप में पृष्ठांकन के साथ महामहिम राज्यपाल के Assent के लिये भेजा गया था ।

राज्यपाल सचिवालय के संयुक्त सचिव के पत्र द्वारा दोनों सदनों से पारित एवं प्रमाणित प्रतियाँ महामहिम राज्यपाल के निदेश Inclined to withhold my assent to this amendment Bill के साथ विधि विभाग को लौटाते हुए सभा सचिवालय को सूचना दी गयी है, जिसे प्रभारी सचिव ने सदन को सूचित किया है । महामहिम ने इसका कारण मुख्यतः दोनों विधेयकों को धन विधेयक होना बताया है ।

धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 199 में परिभाषित है । कोई भी विधेयक राज्य के कोष से धन खर्च होने के आधार पर धन विधेयक की श्रेणी में परिभाषित किया जाना संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं होगा । संभवतया कोई भी विधेयक ऐसा नहीं होता जिसके अधिनियमित होने के फलस्वरूप राज्य कोष से धन निकासी एवं खर्च की संभावना नहीं हो । प्रायः सभी अधिनियमों के

Contd.....2...

क्रियान्वयन में कमो बेस यह स्थिति उत्पन्न होती है कि किसी न किसी प्रकार राज्य के कोष से धन खर्च किया जाना अपेक्षित होता है । अतएव किसी विधेयक के अधिनियमित होने के फलस्वरूप राज्य कोष से निकासी किया जाना ही एक मात्र आधार हो तब ऐसी स्थिति में कोई भी विधेयक धन विधेयक की श्रेणी से इतर परिभाषित नहीं किया जा सकेगा ।

संविधान के अनुच्छेद 199 (3) में यह प्रावधानित है कि अगर किसी विधेयक के धन विधेयक होने अथवा नहीं होने का विवाद उत्पन्न हो तो वैसी स्थिति में विधान सभा के अध्यक्ष का फैसला अन्तिम होगा । उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विधेयक के स्वरूप पर विधान सभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।

दिनांक 6 मई, 1953 को माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, जवाहर लाल नेहरू ने लोकसभा में जो Bill के संबंध में Speech दिया था उसकी निम्न पंक्तियाँ उल्लेखनीय है:-

It is clear and beyond possibility of dispute that the Speaker's authority is final in declaring that a Bill is a Money Bill. When the Speaker gives his certificate to this effect, this cannot be challenged. The Speaker has no obligation to consult any one in coming to a decision or in giving his certificate. But he has himself decided to ask for the opinion of the Law Ministry in every case that has arisen since the commencement of the Constitution in 1950, before he records his decision.

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 एवं पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 में ऐसा कोई प्रावधान निहित नहीं है जिसके आधार पर इन दोनों विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 199 के अन्तर्गत धन विधेयक के रूप में परिभाषित किया जाए ।

अत: बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा सामान्य विधेयक के रूप में पारित बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 एवं पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 विधि सम्मत् है ।